न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी: झंवर लाल (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या::— 38/2026

उनवान

1. चांदमल सोगाणी पुत्र श्री लादूराम सोगाणी जाति सोगाणी नि0 सौलंकी टॉकीज रोड शास्त्रीनगर भीवाडाडा तह0 व जिला भीलवाडा(राज0)

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. दीपक पुत्र श्री चांदमल सोगाणी नि0 नीलकण्ठ कॉलोनी, शास्त्रीगर भीलवाडा तह0 जिला भीलवाडा (राज0)
2. पुनीत पुत्र श्री चांदमल सोगाणी नि0 नीलकण्ठ कॉलोनी, शास्त्रीगर भीलवाडा तह0 जिला भीलवाडा (राज0)
3. सुनील पुत्र श्री चांदमल सोगाणी नि0 नीलकण्ठ कॉलोनी, शास्त्रीगर भीलवाडा तह0 जिला भीलवाडा (राज0)
4. नन्दकिशोर बैरवा पुत्र श्री गोपी लाल बैरवा नि0 27/90 बैरवा मौहल्ला, गुलमण्डी, भीलवाडा(राज0)
5. नन्द लाल पुत्र श्री भोजा गुर्जर नि0 केवाडा(कुवाडा खान) तह0 एवं जिला भीलवाडा(राज0)
6. बाबू लाल पुत्र श्री भोजा गुर्जर नि0 केवाडा(कुवाडा खान) तह0 एवं जिला भीलवाडा(राज0)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0)

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 26.05.2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 04.03.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व **ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप प्रथम भू.अ.नि.क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज. में खाता संख्या 1005 खसरा संख्या 4732/542 रकाब 0.1454 है0, खसरा संख्या 543 रकबा 0.2529 है0, खसरा संख्या 547 रकबा 0.3288 है0, खसरा संख्या 548 रकबा 0.5564 है0, कुल खसरे 4 कुल रकबा 1.2835 हैक्टेयर** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.03.2026 को पंजीवद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 04,05,06 विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 01,02,03 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 01,02,03 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए ओदशिका पर अंकित किया गया । प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम 01,02,03 का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप प्रथम भू.अ.नि.क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज. में खाता संख्या 1005 खसरा संख्या 4732/542 रकाब 0.1454 है0, खसरा संख्या 543 रकबा 0.2529 है0, खसरा संख्या 547 रकबा 0.3288 है0, खसरा संख्या 548 रकबा 0.5564 है0, कुल खसरे 4 कुल रकबा 1.2835 हैक्टेयर** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 1000/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 26.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)